



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125000

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5138 वर्ष

2026

दीक्षित प्रजापति उर्फ दिशांत कुमार (सही नाम: दीक्षांत कुमार)

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : शिवांगी भारद्वाज, सुनील वशिष्ठ

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 125/2026 धारा 109(1), 125, 191(2), 190 बीएनएस, पुलिस स्टेशन सिहानी गेट, ज़िला गाज़ियाबाद में अग्रिम जमानत की मांग के लिए दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस मामले में फँसाया गया है। आगे कहा गया है कि आवेदक का उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो उस पर लगाए गए हैं और उसने अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आगे कहा गया है कि हालाँकि एफआईआर में आवेदक का नाम था और सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान भी हुई थी, लेकिन उसकी कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। आगे कहा गया है कि घायल निक को लगी चोट गंभीर प्रकृति की है, लेकिन उसे जानलेवा नहीं माना गया है और अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि यह चोट आवेदक ने पहुँचाई है; साथ ही, घायल रोहित को लगी चोट मामूली प्रकृति की है। आगे कहा गया है कि **अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-आरोपी कृष्ण कीरवाल उर्फ चिराग और तरुण सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 14990/2026 और 14965/2026 में दिनांक 5.5.2026 और 4.5.2026 के आदेशों द्वारा नियमित ज़मानत दी है। आगे कहा गया है कि इस मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे कहा गया है कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से तय करते हुए कहा है कि अग्रिम ज़मानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित मामलों में, यह परीक्षण के खत्म होने तक जारी रह सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी के आचरण और व्यवहार के आधार पर, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी परीक्षण तक अग्रिम ज़मानत जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है की संभावना, और न्याय से भागने की संभावना जैसे देश छोड़कर भागना आदि पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

6. अग्रिम ज़मानत से जुड़े स्थापित विधिक सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में, यह आवेदक को परीक्षण तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

7. तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उक्त आपराधिक मामले में शामिल आवेदक-दीक्षित प्रजापति उर्फ दिशांत कुमार (सही नाम दीक्षांत कुमार है) को इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर परीक्षण न्यायालय/विवेचना अधिकारी जैसा भी मामला हो के सामने पेश होना होगा। उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देने पर परीक्षण खत्म होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करें:-

(i) आवेदक मामले में तय तारीख पर विवेचना अधिकारी/संबंधित न्यायालय के सामने पेश होगा और विवेचना/परीक्षण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति उन तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के पास जमा करना होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार बन सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

3 जून, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।